न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 79/2021

प्रार्थी :– खंगार पुत्र लालाराम कौम मेगवंशी निवासी सुरपुरा तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर (राज)

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. नेमाराम पुत्र प्रभुराम
2. हमीराराम पुत्र प्रभुराम
3. जगाराम पुत्र प्रभुराम
4. शेषाराम पुत्र प्रभुराम
5. गीलाराम पुत्र मेलाराम समस्त जातियान मेगवंशी नि0 सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कल्याणपुर वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक शाखा कल्याणपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :– 1. श्री नरपतसिंह भाटी वकील प्रार्थी
2. तहसीलदार कल्याणपुर

आदेश दिनांक :– 27.6.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 493/113 रकबा 21–10 बीघा ग्राम सुरपुरा तहसील कल्याणपुर में अवस्थित है।जिससे लगता हुआ विप्रार्थी संख्या – 1 से 5 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 492/113 रकबा 14–15 बीघा का है । प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत से राजकीय कटाण मार्ग पर आवागमन हेतु विप्रार्थी के उक्त खातेदारी खेत पूर्वी सीमा पर अवस्थित प्रचलित मार्ग का प्रयोग करना एकमात्र विकल्प है, जो आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ट'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी से दरसाए अनुसार है। विप्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि अपनी खातेदारी में होने के कारण बरसात के मौसम में उक्त भूमि पर काश्त कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया जाता है । जिससे प्रार्थी के आवागमन की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है । अतः प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत से कटाण रास्ते तक आवागमन हेतु आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दिये गये बिन्दु संख्या ए से बी के स्थान को गैरमुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्शा में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:18:45 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गयी। बावजूद नोटिस तामील के विप्रार्थी संख्या –1 से 6 अनुपस्थित रहे । वकील प्रार्थी ने अपने

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2075–78 व उक्त भूमि का लट्ठा ट्रेस प्रस्तुत किया । आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार कल्याणपुर से मौका रिपोर्ट तलब की गयी ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी ।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत से राजकीय कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या –1 से 5 के खातेदारी खेत में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता इकलौता विकल्प है, जिसकी प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा काश्त करके और बाड़ लगा कर उक्त रास्ता अवरूद्ध किये जाने से प्रार्थी का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है । और उसे किसी कार्य हेतु संयंत्र और ट्रेक्टर आदि ले जाने में भारी असुविधा का सामना करना पडता है । अतः प्रार्थी आवेदन के संलग्न दिये नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी को गैरमुमकिन रास्तें के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है । प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को डी.एल.सी दर की दुगनी राशि अदा करने हेतु सहमत है ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया ।प्रार्थी ग्राम सुरपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 493/113 रकबा 21–10 बीघा का अभिलिखित खातेदार है, जिस पर उसका कब्जा काश्त है ।राजकीय कटाण मार्ग एवं प्रार्थी के खातेदारी खेत के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 से 5 का खातेदारी खेत अवस्थित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत से कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के उक्त खातेदारी खेत की पूर्वी सीमा पर अवस्थित रास्ते से गुजरना पडता है । उक्त रास्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा अवरूद्ध किये जाने से प्रार्थी के सामने आवागमन की विकट समस्या खडी हो जाती है । तहसीलदार कल्याणपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है। जिसकी प्रार्थी को अपरिहार्य आवश्यकता है । प्रस्तावित रास्ते में प्रभावित भूमि की लम्बाई 132 फीट, चौडाई 10 फीट एवं रकबा 0–02 बीघा है । विप्रार्थी के खातेदारी खेत की डीएलसी दर 25488 रूपये पर बीघा है। उक्त दर से रास्ते में प्रभावित भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि 5098 रूपयें बनती है जो प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या –1 से 5 को अदा की जानी है ।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर ग्राम सुरपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा नम्बर 493/113 रकबा 21–10 बीघा से राजकीय कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु इस ग्राम के खसरा संख्या 492/113 रकबा 14–15 बीघा में से, तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा जरिये पत्र कमाक–राजस्व/2022/106 दिनांक 19.1.2022 प्रेषित मौका फर्द में बरंग लाल से दर्शित दो गट्ठा चौडी व बीस गट्ठा लम्बी भूमि, प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रूपये 5098/– अदा करने, और उनके द्वारा नहीं लिये जाने पर राजकोष में जमा करवाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:18:45 IST
Reason: SelfAttested

जाने पर, गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है ।तहसीलदार कल्याणपुर को तदनुसार खसरा संख्या 492/113 रकबा 14–15 बीघा की 0–02 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्शा में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में अमल दरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा जरिये पत्र कमाक–राजस्व/2022/106 दिनांक 19.1.2022 प्रेषित मौका फर्द में दिया गया नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.6.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बालोतरा
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:18:45 IST
Reason: SelfAttested